



आदेश की क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष लगातर अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद की कार्रवाई में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उभय पक्ष के अभिरुची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संसोधित।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।</p>	